

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023—श्रावण 6, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, कुनाल साकले पिता अजय साकले म.नं. 1856 अमराई परिसर बागसेवनिया भोपाल मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कृष्ण साकले दर्ज है जो कि गलत है वास्तविक में मेरा सही नाम कुनाल साकले हैं जिसे सभी दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(कृष्ण साकले)

नया नाम

(कुनाल साकले)

पिता श्री अजय साकले.

(G-1398)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीलम अरोरा पत्नी स्व. श्री विनोद अरोरा निवासी म. नं. 2227,2228, प्रेम मंदिर रोड राईट टाउन जबलपुर मेरा नाम एन अरोरा एवं एस अरोरा दोनों नाम मेरे शेरर प्रमाण-पत्र में लिखा हैं मेरा सही नाम श्रीमती नीलम अरोरा है. मैं एन अरोरा एवं एस अरोरा के स्थान पर श्रीमती नीलम अरोरा के नाम से ही जानी पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(N. ARORA)

S.ARONA

नया नाम

(NEELAMARORA)

(G-1399)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री जिसका जन्म के समय "रोशिता (ROSHITAA) पिता आनंद निगम" रखा गया था, जो कि अब परिवर्तित किया जाकर "राजवी (RAAJVEE) पिता आनंद निगम" के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

आनंद निगम पिता स्व. अशोक निगम
ए-17/9, वेद नगर, नानाखेड़ा उज्जैन
(म.प्र.).

(G-1400)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स लॉर्ड शिवा फ्यूल्स, पंजीकृत प ह नं. 25, 402/1/2 एवं 402/2/2, ग्राम बोराली, तहसील बदनावर, जिला धार (म0प्र0) जिसका पंजीयक क्रमांक 03/28/02/0310/21, दिनांक 04.02.2021 उप-पंजीयक कार्यालय इंदौर में होकर प्रथम साझेदारी विलेख दिनांक 18.01.2020 के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में श्रीमती राजेश्वरी आर्य पिता श्री मोहनलाल आर्य एवं कुमारी इति आर्य पिता श्री मोहनलाल आर्य तथा श्रीमती संस्कृति आर्य पति श्री प्रशांत बावरा थे.

उसके उपरांत साझेदारी विलेख दिनांक 26.02.2022 के अनुसार साझेदारी फर्म में एक साझेदार श्रीमती राजेश्वरी आर्य पिता मोहनलाल आर्य का आकस्मिक निधन दिनांक 05.05.2021 को हो गया था जिसके कारण श्रीमती राजेश्वरी आर्य का साझेदारी फर्म से दिनांक 26.07.2022 से निष्कासन/रिटायरमेंट हो गया था एवं उनके लाभ-हानि अनुपात को बाकी नियमित साझेदारों में बराबर बाँट दिया गया है जिनके नाम क्रमशः कुमारी इति आर्य पिता श्री मोहनलाल आर्य तथा श्रीमती संस्कृति आर्य पति श्री प्रशांत बावरा होकर वर्तमान में इस साझेदारी फर्म में कुल दो साझेदार हैं एवं साझेदारी फर्म उपरोक्त पंजीकृत पते पर सफलता पूर्वक संचालित की जा ही है.

वास्ते- लॉर्ड शिवा फ्यूल्स
(ITI ARYA)
(PARTNER)

(G-1401)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है, कि मेरा उपनाम दुर्गा प्रसाद संतोष उपराडे (DURGA PRASAD SANTOSH UPRADE) था, जिस कारण मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, मेरी समस्त अंकसूचियां/मार्कशीटों एवं अन्य सभी दस्तावेजों पर मेरा नाम दुर्गा प्रसाद संतोष उपराडे दर्ज हो गया है. लेकिन अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम देव उपराडे (DEV UPRADE) कराना चाहता हूँ, और मेरा सही नाम यही है, और प्रचलित रहेगा व मैं इसी नाम से नाम जाना व पहचाना जाऊँगा.

पुराना नाम
(दुर्गा प्रसाद संतोष उपराडे)

नया नाम
(देव उपराडे)

(G-1402)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रतनबाई जोशी (RATANBAI JOSHI) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे रामेश्वरी जोशी (RAMESHWARI JOSHI) निवासी:-12/14, विजय नगर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जावेंगी एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थनी

(रामेश्वरी जोशी)

(RAMESHWARI JOSHI)

(G-1403)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम हीरालाल कुशवाहा, (HEERA LAL KUSHWAHA) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे हर्षित सिंह कुशवाहा (HARSIT SINGH KUSHWAHA) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी

(हर्षित सिंह कुशवाहा)

(HARSIT SINGH KUSHWAHA)

निवासी-16/827, रविन्द्र नगर नियर सावी मदर,
स्कूल, उर्राहत हुजूर, रीवा (म.प्र.).

(G-1404)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स सिंघल कंस्ट्रक्शन कंपनी (M/S SINGHAL CONSTRUCTION COMPANY) कार्यालय एम एस रोड कैलारस जिला मुरैना म0प्र0 476224 जो दिनांक 21 फरवरी 2005 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र. एआरजी/फर्म/86 वर्ष 2004-2005 दिनांक 28 फरवरी 2005 है जिसका प्रथम संशोधित विलेख दिनांक 01 अप्रैल 2016 को सम्पादित हुआ एवं उक्त संशोधन दिनांक 14 मार्च 2018 को रजिस्ट्रार के आदेशानुसार स्वीकृत एवं दर्ज है.

दिनांक 01 अप्रैल 2020 को द्वितीय संशोधित विलेख सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है की श्री राधे श्याम बंसल पुत्र श्री बाबू लाल बंसल एवं श्रीमती रेनू बंसल पत्नी श्री सौरव बंसल स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रही हैं जिनके स्थान पर पूजा गर्ग पुत्री श्री सुनील गर्ग एवं राखी सिंघल पुत्री श्री सतीश सिंघल फर्म में सम्मिलित हुए हैं यहाँ जानकारी आम जन को सूचित हो.

फॉर- मैसर्स सिंघल कंस्ट्रक्शन कंपनी

(M/S SINGHAL CONSTRUCTION COMPANY)

आकाश सिंघल (पार्टनर)

पता- एमएस रोड कैलारस जिला मुरैना (म0प्र0)

(G-1405)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सायरा खातून पत्नी श्री ए.के. राजपूत सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रपत्र एवं पहचान पत्र में मेरा नाम श्रीमती सायरा खातून पत्नी श्री ए.के. राजपूत पुत्री मोहम्मद वशीर अंकित है, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती पूजा राजपूत पत्नी श्री ए.के. राजपूत दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानी एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः भविष्य में मुझे मेरे पूर्व के नाम श्रीमती सायरा खातून पत्नी श्री ए.के. राजपूत से जाना पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(पूजा राजपूत)

नया नाम
(सायरा खातून)
निवासी—शिवाजी वार्ड, मिल के पास गांधी नगर,
जिला भोपाल

(G-1406)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम RAHUL UCHCHARIYA S/O TOTARAM UCHCHARIYA जो कि अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके RAHUL ACHARYA S/O TOTARAM कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे एवं सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में RAHUL ACHARYA S/O TOTARAM दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(RAHUL UCHCHARIYA)
S/O TOTARAM UCHCHARIYA

नया नाम
(RAHUL ACHARYA)
S/O TOTARAM
GAYATRI VIHAR COLONY PINTO PARK
GIRD MORAR, GWALIOR (M.P.)

(G-1407)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम समीना उर्फ सम्मी बानो पुत्री श्री नियामत खान था. अब मेरे द्वारा नाम परिवर्तित कर श्रीमती अनीता बानो पत्नी श्री रफीक खान हो गया है. जो मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है अब मुझे परिवर्तित नाम श्रीमती अनीता बानो पत्नी श्री रफीक खान के नाम से ही जाना—पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(समीना बानो उर्फ सम्मी)

नया नाम
(अनीता बानो)
पता—दर्पण कॉलोनी आठ दुकानों के,
पास, ठाटीपुर मुरार ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1408)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "K S C INFRA" पंजीयन क्रमांक 05/48/01/0122/17 पंजीयन दिनांक 29/11/2017 पता WARD NO. 06, MOUHAR TOLA VILL. POST, CHACHAI DISTT. ANUPPUR (M.P.) कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) KAMLESH SINGH CHANDEL S/O SHRI KAILESH SINGH पता- MAUHAR TOLA, KALLHORI ROAD, CHACHAI, DISTT. ANUPPUR (M.P.) (2) MANENDRA SINGH S/O SHRI NAGENDRA BAHADUR SINGH पता- Q.NO. D/25 CHACHAI, DISTT. ANUPPUR M.P. (3) ARCHANA SINGH W/O SHRI MANENDRA SINGH पता- Q.NO. D/25 CHACHAI, DISTT. ANUPPUR M.P. पार्टनर थे जिसमें दिनांक 01/12/2022 को पार्टनर KAMLESH SINGH CHANDEL S/O SHRI KAILESH SINGH पता- MAUHAR TOLA, KALLHORI ROAD, CHACHAI, DISTT. ANUPPUR (M.P.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये. निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं. जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 01/12/2022 को फर्म में नवीन पार्टनर AJAY SINGH CHANDEL S/O KAMLESH SINGH AGED 23 YEARS पता- WARD NO. 06, MAUHAR TOLA KALLHORI, CHACHAI DISTT. ANUPPUR (M.P.) को सम्मिलित किया गया है.

**K S C INFRA
MANENDRA SINGH**

भागीदार

(G-1409)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "S R S INDUSTRY" पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0087/18 पंजीयन दिनांक 01/09/2018 पता 22, INDUSTRIAL AREA CHORAHATA TEHSIL HUZUR DISTT. REWA (M.P.) PIN CODE - 486001 कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) SHRI SANTOSH KUMAR GUPTA S/O SHRI BAL KRISHNA GUPTA पता- RESIDENT OF SBI COLONY MANAS NAGAR REWA TEHSIL HUZUR DISTT. REWA (M.P.) (2) SHRI RINKESH GUPTA S/O SHRI RAM AUTAR GUPTA पता- RESIDENT OF BAIKUNTHPUR, DISTT. REWA M.P. (3) SHRI SHASHANK GUPTA S/O SHRI BRIJ KISHORE GUPTA पता- RESIDENT OF NEHRU NAGAR REWA TEHSIL HUZUR DISTT. REWA (M.P.) (4) SHRI OM PRAKASH GUPTA S/O SHRI BAL KRISHNA GUPTA पता- RESIDENT OF HOUSE NO. 13/53 STATE BANK COLONY WATER TANK NEHRU NAGAR REWA TEHSIL HUZUR REWA (M.P.) पार्टनर थे जिसमें दिनांक 01/04/2023 को (1) SHRI RINKESH GUPTA S/O SHRI RAM AUTAR GUPTA पता- RESIDENT OF BAIKUNTHPUR, DISTT. REWA (M.P.) और (2) SHRI OM PRAKASH GUPTA S/O SHRI BAL KRISHNA GUPTA पता- RESIDENT OF HOUSE NO. 13/53 STATE BANK COLONY WATER TANK NEHRU NAGAR REWA TEHSIL HUZUR REWA M.P. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 01/04/2023 को फर्म में नवीन पार्टनर SMT. VIMALA GUPTA W/O SHRI BRIJ KISHORE GUPTA AGED 50 YEARS RESIDENT OF NEHRU NAGAR REWA DISTT. REWA M.P. को सम्मिलित किया गया है. एवं दिनांक 01/04/2023 को भागीदारी फर्म में पूर्व में फर्म का पता- 22 INDUSTRIAL AREA CHORAHATA TEHSIL HUZUR DISTT. REWA M.P. PIN CODE 486001 था. फर्म के सभी पार्टनर ने आपसी सहमति से दिनांक 01/04/2023 को फर्म के पते में परिवर्तन किया गया वर्तमान में उक्त

फर्म का नवीन पता **PLOT NO. 86/86A UDYOG VIHAR CHORAHATA TEHSIL HUZUR DISTT. REWA M.P. PIN CODE 486001** हो गया है.

**S R S INDUSTRY
SANTOSH KUMAR GUPTA**

भागीदार

(G-1410)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गंगाराम (Gangaram) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे सतीश मालवीय (Satish Malviya) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी

सतीश मालवीय (SATISH MALVIYA)

निवासी- मुंडला बाग, मांगलिया,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1411)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड संस की फर्म के रूप में संयुक्त पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में क्र. 03/27/01/00058/2011, दिनांक 30.06.2011 से पंजीकृत है. फर्म दिनांक 01.07.2023 को श्री ईस्माईल खान पिता श्री नबी खान, निवासी-73/92, सुभाष मार्ग, मेनरोड इन्दौर को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है एवं फर्म में इमरान खान पिता इल्यास खान निवासी 46, भिश्ती मोहल्ला इन्दौर म.प्र. दिनांक 01.07.2023 सेवानिवृत्त होने से संशोधित डीड लिखी गई है, जिसमें इमरान खान फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्वसूचना है.

मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड संस

(इकबाल हुसैन)

पार्टनर

नागदा रेल्वे स्टेशन, नागदा

(G-1412)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी के पूर्व नाम अनामिका नांदुरकर था जो कि शादी के बाद बदलकर अनामिका हलपती हो गया है.

पुराना नाम

(अनामिका नांदुरकर)

नया नाम

(अनामिका हलपती)

निवासी- 365-बी, वीईपी परस्पर नगर,
इन्दौर, म.प्र.

(G-1413)

नाम परिवर्तन

मैं, रक्षा वरकड़े पिता नत्थूसिंह वरकड़े निवासी रातामाटी बुजुर्ग तह. जिला बैतूल, मैं, मेरा सही नाम रक्षा वरकड़े पिता नत्थूसिंह वरकड़े (माता प्रेमलता वरकड़े) है जो कि मेरे आधार कार्ड, समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में सरनेम वरकड़े दर्ज है, मेरी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की अंकसूची में मेरा नाम रक्षा व पिता नत्थूसिंह के व माता प्रेमलता नाम के बाद सरनेम वरकड़े दर्ज नहीं है जो कि मेरे पूर्व के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज वरकड़े सरनेम के आधार पर मैं अपनी 10वीं उत्तीर्ण अंकसूची में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रक्षा)

नया नाम
(रक्षा वरकड़े)

(G-1414)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का घरू नाम बबलू ढाकरे था जबकि मेरा सही नाम ठाकुर दास ढाकरे है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे बबलू ढाकरे के स्थान पर ठाकुर दास ढाकरे के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे व सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बबलू ढाकरे)

पुत्र भगवानदास/भगवान दास

नया नाम
(ठाकुर दास ढाकरे)

पुत्र- भगवान दास ढाकरे
निवासी- विनय नगर सेक्टर-2ए
उरवाई गेट चौराहा लश्कर ग्वालियर.

(G-1415)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र पंकज कोहली के स्कूल अभिलेख व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भूल व त्रुटिवश पिता का नाम ईश्वरलाल कोहली (ISHWARLAL KOHLI) लिखा गया है जिसे बदलकर गेंदालाल कोहली (GENDALAL KOHLI) कर लिया है. अतः मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम गेंदालाल कोहली (GENDALAL KOHLI) पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(ईश्वरलाल कोहली)

नया नाम
(गेंदालाल कोहली)

72 विक्रमादित्य मार्ग, बड़नगर
जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-1416)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनादाता का नाम विवाह से पूर्व कु. कमलेश शर्मा पुत्री श्री बनवारी लाल शर्मा था. मेरा विवाह श्री देवेन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार न्यू हाईकोर्ट सिटी सेन्टर ग्वालियर म.प्र. के साथ सम्पन्न होने के पश्चात् मेरा नाम अब श्रीमती दिशा द्विवेदी पत्नी श्री देवेन्द्र द्विवेदी निवासी 9, नटराज स्टेट गार्डन होम्स के पास

अल्कापुरी एवं न्यू हाईकोर्ट सिटी सेन्टर ग्वालियर म.प्र. हो गया है तथा भविष्य में इसी नाम से जानी व पहिचान जाऊंगी. मैं इसी नाम से अपने हस्ताक्षर करती हूँ.

पुराना नाम

(कमलेश शर्मा)

पुत्री—श्री बनवारीलाल शर्मा

(G-1417)

नया नाम

(दिशा द्विवेदी)

पत्नी—श्री देवेन्द्र द्विवेदी

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम सोहा खान, (SOHA KHAN) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरी पुत्री बिनिश खान, (BINISH KHAN) निवासी— 113, मेजेस्टिक नगर खजराना जिला इन्दौर म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी

(G-1418)

अजीम खान (AZEEM KHAN)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम किरण सिंह राजपूत, (KIRAN SINGH RAJPUT) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे सुजीत कुमार पॉल, (SUJEET KUMAR PAUL) निवासी— 501, भास्कर विला, अपोजिट टू मेडीकैप्स, ए.बी. रोड़ पिगडम्बर जिला इन्दौर म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी

(G-1419)

सुजीत कुमार पॉल (SUJEET KUMAR PAUL)

CHANGE OF NAME

I, Sonam Chouksey is legally D/o Late Mr. Santosh Chouksey presently residing at 421, Bhawar Nagar Colony, Behind BMHRC, New 80 Feet Road, Bhopal (M.P.) have changed my name from Sonu Chouksey to Sonam Chouksey.

OLD NAME

(SONU CHOUKSEY)

(G-1420)

NEW NAME

(SONAM CHOUKSEY)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम गिरजा देवी कोल पुत्री श्री शिवप्रसाद कोल था. जो मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम ममता दर्ज है. मेरे पति दिलीप कुमार द्वारा सेवा पुस्तिका में विवाह पूर्व का नाम गिरजा गोटिया भूलवश अंकित कर दिया गया था जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम ममता है जो कि सत्य व सही है भविष्य में भी मेरा नाम ममता लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(गिरजा गोटिया)

(G-1421)

नया नाम

(ममता)

निवासी— ए-39, सुभाष नगर हजीरा ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

M/S GLOBAL POLYMER INDUSTRIES फर्म के साझेदारों द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें भोपाल पंजीयन क्र. 01/01/01/0153/18 दिनांक 09/08/2018 है जिसमें कि साझेदार 1- MANOHAR PATIDAR S/o KEWAL RAM PATIDAR, 2- RAMSEWAK PATIDAR S/o KEWAL RAM PATIDAR दिनांक 05/07/2023 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है.

M/S GLOBAL POLYMER INDUSTRIES
(AAMIR KHAN)
(PARTNER)

(G-1422)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, निर्मला देवी (NIRMALA DEVI) उर्फ सुशीला सिंह (SUSHILA SINGH) पत्नी श्री सुरेश प्रताप सिंह (SURESH PRATAP SINGH) निवासी म.नं. 1945, राजीव नगर सेमरा कलां, भोपाल म.प्र. मेरे आधार में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम सुशीला सिंह (SUSHILA SINGH) अंकित हो गया है मेरा प्रचलित नाम निर्मला देवी, (NIRMALA DEVI) है जो सही एवं सत्य है एवं मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में निर्मला देवी, (NIRMALA DEVI) अंकित है. अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय दस्तावेजों में निर्मला देवी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(सुशीला सिंह)

नया नाम
(निर्मला देवी)

(G-1423)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनिया सहगल पत्नी श्री राहुल सहगल निवासी-78, टैगोर नगर, ग्वारीघाट रोड़, जबलपुर म.प्र. मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम यश राहुल सहगल दर्ज हो गया जबकि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम यश सहगल दर्ज है जो कि उसका सही नाम है.

पुराना नाम
(यश राहुल सहगल)

नया नाम
(यश सहगल)

(G-1424)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा आधार कार्ड में मेरा नाम लोकनाथ सिंह आ. श्री लोकनाथ सिंह नाम दर्ज है जो कि गलत है मेरा सही नाम सूर्यप्रताप सिंह आ. श्री लोकनाथ सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे आज दिनांक से मेरा नाम सूर्यप्रताप सिंह आ. श्री लोकनाथ सिंह पता-ए 1/11 सौभाग्य नगर अशोका गार्डन भोपाल से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(लोकनाथ सिंह)

नया नाम
(सूर्यप्रताप सिंह)
पिता श्री लोकनाथ सिंह.

(G-1425)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अय्यूब खान पिता मोहम्मद तय्यब अली निवासी ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र. मैं अय्यूब खान रज़ा (AYYUB KHAN RAZA) पिता मोहम्मद तय्यब अली (MOHAMMAD TAYYAB ALI) नि-20 मुकददस नगर (अशोक नगर) पुल बोगदा, भोपाल म.प्र. के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ तथा नाम के बाद रज़ा (RAZA) उपनाम लिखता हूँ, अब मैं हमेशा के लिये अय्यूब खान रज़ा (AYYUB KHAN RAZA) पिता मोहम्मद तय्यब अली (MOHAMMAD TAYYAB ALI) नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अय्यूब खान)

नया नाम
(अय्यूब खान रज़ा)
पिता मोहम्मद तय्यब अली.

(G-1426)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म मैसर्स श्री बिहारी जी बायो एनर्जी 16 इंडस्ट्रीयल एरिया बानमोर जिला मुरैना पं. क्र. 02/44/01/00197/12 दिनांक 18/12/2012 है. जिसमें दिनांक 24/01/2017 को भागीदार के रूप में श्री नीतेश गर्ग पुत्र श्री पूरनचंद्र गर्ग निवासी मलक पाडा बाडी जिला धौलपुर राज. फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. एवं दिनांक 24/01/2017 को श्रीमती मोनिका गोयल पत्नी श्री श्यामसुन्दर गोयल निवासी पुराना बस स्टैण्ड, एम.एस. रोड मुरैना स्वेच्छा से पृथक हो रही हैं. एवं दिनांक 01/04/2022 को फर्म में भागीदार के रूप में श्रीमती आशा गर्ग पत्नी श्री नीतेश कुमार गर्ग निवासी अजीपुरा रोड गुमट बाडी जिला धौलपुर राज. सम्मिलित हो रही है. एवं इसी दिनांक 01/04/2022 को श्री नीतेश कुमार गर्ग पुत्र श्री पूरनचन्द्र गर्ग निवासी मलक पाडा बाडी जिला धौलपुर राज. एवं श्री चंद्रहास सिंघल पुत्र श्री रमेशचंद्र सिंघल निवासी तिलक रोड पंचायती धर्मशाला मुरैना फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं.

श्री बिहारी जी बायो एनर्जी

अर्चना सिंघल

भागीदार

16, इंडस्ट्रीयल एरिया बानमोर जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1427)

नाम परिवर्तन

मैं, बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम मीना गोयल था, जो मेरे पति की L.I.C. बीमा पॉलिसी के नोमिनेशन (उत्तराधिकारी) में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे पेनकार्ड, वोटकार्ड, आधारकार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि में लिखा गया है. और भविष्य में भी मैं, बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. मीना गोयल एवं बीना दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे पति की L.I.C. बीमा पॉलिसी के नोमिनेशन (उत्तराधिकारी) मेरा नाम मीना गोयल के स्थान पर बीना लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मीना गोयल)

नया नाम
(बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल)
पता-ए.बी. रोड, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1428)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं राम प्रसाद अहिरवार पुत्र खन्नू प्रसाद मेरा नाम सभी दस्तावेजों में राम प्रसाद पुत्र खन्नू प्रसाद है. मैं, अपना नाम परिवर्तित कर राम प्रसाद अहिरवार पुत्र खन्नू प्रसाद हूँ जो के मेरे आधार कार्ड में भी अंकित है परंतु त्रुटि से श्रीराम अहीरवाल अंकित हो गया है जो की गलत है. मैं राम प्रसाद अहिरवार के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मुझे राम प्रसाद अहिरवार के नाम से ही जाना पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम

(राम प्रसाद)

नया नाम

(राम प्रसाद अहिरवार)

पता-659 दशमेश नगर अशोका गार्डन भोपाल वार्ड 65

(G-1429)

नाम परिवर्तन

मैं घनश्याम पटले (GHANSHYAM PATLE) पुत्र चिंतामन पटले (CHINTAMAN PATLE) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम सभी दस्तावेजों में घनश्याम पटले (GHANSHYAM PATLE) पुत्र चिंतामन पटले (CHINTAMAN PATLE) है. जो की मेरे दस्तावेजों में त्रुटि के कारण (GHANSHYAM PATALE) अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रकाशन उपरांत मुझे घनश्याम पटले (GHANSHYAM PATLE) पुत्र चिंतामन पटले (CHINTAMAN PATLE) नाम से लिखा, पढ़ा, जाना, पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम

(GHANSHYAM PATALE)

नया नाम

घनश्याम पटले (GHANSHYAM PATLE)

पुत्र चिंतामन पटले (CHINTAMAN PATLE)

पता हाउस नं.-66 संतोषी माता वार्ड पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

(G-1430)

नाम परिवर्तन

मैं अंगद सिंह अरोरा ANGAD SINGH ARORA पुत्र कुलदीप सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम अक्षत अरोरा AKSHT ARORA) था जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है और वर्तमान में मैं अंगद सिंह अरोरा पुत्र कुलदीप सिंह के नाम से जाना पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि में लिखा हुआ है. एवं भविष्य में भी मैं अंगद सिंह अरोरा के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा. अंगद सिंह अरोरा एवं अक्षत अरोरा दोनो मेरे ही नाम है अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अक्षत अरोरा के स्थान पर अंगद सिंह अरोरा लिखा एवं पढ़ा जाये.

घर का नाम

(अक्षत अरोरा)

वर्तमान नाम

(अंगद सिंह अरोरा पुत्र कुलदीप सिंह)

(G-1431)

4-ए सरस्वती नगर यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, नेमु बाई बरडिया (NEMU BAI BARDIYA) पत्नी पारसमाल जैन पूर्व में मेरा नाम नेमु कुमारी (NEMU KUMARI) था जो मेरे शेयर होल्डर में लिख गया है जबकि वर्तमान में मेरा नाम नेमु बाई बरडिया है, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि में लिखा गया है और भविष्य में भी मैं इसी नाम नेमु बाई बरडिया के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. नेमु बाई बरडिया और नेमु कुमारी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शेयर होल्डर में मेरा नाम नेमु कुमारी के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम नेमु बाई बरडिया लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नेमु कुमारी)

(G-1432)

वर्तमान नाम

नेमु बाई बरडिया पत्नी पारसमाल जैन

जहवार मार्ग, खचारौद, उज्जैन, म.प्र.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s ANAGH DSG HEALTHCARE जो 303 AKRITI VEENA PLAZA MALLROAD OPPOSITE MATERNITY HOME MORAR GWALIOR में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0130-22, दि. 21.09.2022 है जिसमें दिनांक 02.03.2023 को (1) श्रीमती मीरा देवी गर्ग पत्नी गोपाल दास गर्ग, निवासी-डॉ कॉलोनी बाड़ी, बसेडी रोड, धोलपुर, बाड़ी (राजस्थान) (2) डॉ संध्या गुप्ता पत्नी डॉ अरविन्द गुप्ता, निवासी-36, ललितपुर कॉलोनी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने, लश्कर ग्वालियर (3) डॉ नेहा भार्गव पत्नी डॉ. राम अवतार रावत, निवासी-डी -41 फेस -3, गार्डन होम्स, अल्कापुरी, आर. के. पुरी, ग्वालियर (4) अक्षय कुमार निगम H U F (कर्ता) डॉ. अक्षय कुमार निगम, निवासी-हाउस नं. सी-74, तानसेन रोड, न्यू साकेत नगर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदारी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

(डॉ. संतोष कुमार सिंघल)

(भागीदार)

M/s ANAGH-DSG HEALTHCARE

303, AKRITI VEENA PLAZA MALLROAD, MORAR, GWALIOR

(G-1433)

नाम परिवर्तन

मैं, आयुषी व्यास (AAUSHI VYAS) पिता विपिन कुमार व्यास , म. न. 425, मधुबन हिल्स, मंडीदीप, जिला रायसेन की निवासी हूँ, प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम साइना व्यास (SAINA VYAS) लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम आयुषी व्यास है जिसे सभी सरकारी दस्तावेजों में पढ़ा लिखा जावे.

आवेदक का नाम

विपिन कुमार व्यास (अभिभावक)

आयुषी व्यास

(G-1434)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि TOMAR INFRA जो C-99 GOVINDPURI GWALIOR है जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0197-18, दि. 13-11-2018 है, जिसमें दिनांक 21-12-2022 को भागीदार 1. धर्मन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री बेताल सिंह तोमर, निवासी-सी-99, गोविंदपुरी, ग्वालियर 2. पूजा तोमर पत्नी धर्मन्द्र सिंह तोमर, निवासी-सी-99 गोविंदपुरी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से स्वतः पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 21-12-2022 को 1. जयप्रताप सिंह तोमर पुत्र राकेश सिंह तोमर, निवासी-सी-18, गोविंदपुरी, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर 2. गीता तोमर

पत्नी राकेश सिंह तोमर, निवासी-सी-18, गोविंदपुरी, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं इसी दिनांक 21-12-2022 को फर्म का मुख्य कार्यालय-C-99, GOVINDPURI, GWALIOR से परिवर्तित कर नवीन स्थान C-18, GOVINDPURI, GWALIOR हो गया है।

M/s TOMAR INFRA

जयप्रताप सिंह तोमर

(भागीदार)

(G-1435)

C-99 GOVINDPURI GWALIOR

नाम परिवर्तन

मैं, अंजु सिंह सोलंकी पत्नी श्री जयदेव सिंह सोलंकी, निवासी-टीलाखेडी कालोनी, एम.आई.जी-49, तहसील व जिला विदिशा मेरा नाम समस्त कागजातों में अंजु सिंह सोलंकी (ANJU SINGH SOLANKI) दर्ज है.मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अंजु सिंह राजपूत है शादी के बाद मेरा नाम अंजु सिंह सोलंकी हो गया है. जो सही है मुझे यही नाम से जाना जाये.

पुराना नाम

(अंजु सिंह राजपूत)

ANJU SINGH RAJPUT

(G-1436)

नया नाम

(अंजु सिंह सोलंकी)

ANJU SINGH SOLANKI.

आम सूचना

भागीदारी फर्म के विघटन के बिना भागीदार की सेवानिवृत्ति हेतु संशोधन विलेख प्रस्तुत हेतु सूचना, यह कि फर्म मेसर्स गार्गी ग्रुप, दीपक होटल के सामने, 5-सिविल लाइन, तहसील व जिला-सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक-06-09-01-00155-13, सन् 2012-2013, दिनांक 11 फरवरी 2013 को पंजीकृत है. उक्त फर्म के भागीदार श्री महेश यादव S/o स्वर्गीय श्री दीनदयाल यादव पता-रोहन गली, विवेकानंद वार्ड, सागर का निधन दिनांक 25 जनवरी 2019 को हो जाने से वह दिनांक 25 जनवरी 2019 से फर्म से अलग हो गए हैं. अतः संशोधन विलेख दिनांक 7 जून 2023 को निष्पादित किया जा रहा है जो कि 25 जनवरी 2019 से लागू होगा. शेष भागीदारों को फर्म में पूर्व रूप से भागीदार के रूप में यथावत् जारी रहेंगे. फर्म के भागीदारों फर्म से जुड़े व्यक्तियों एवं सामान्य जन को सूचना प्रकाशित कर सूचित किया जाता है.

मेसर्स गार्गी ग्रुप

(रानेश ओमरे)

भागीदार

05, सिविल लाइन, सागर

मध्यप्रदेश.

(G-1437)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री का नाम माही तिवारी पुत्री श्री दीपक तिवारी है, जो कि उसके आधार कार्ड के अलावा सभी जगह लिखा हुआ है, केवल उसके आधार कार्ड में ही उसका नाम पूनम तिवारी लिखा हुआ है, अतः मेरी पुत्री को उसके सभी शासकीय व अशासकीय सहित उसके आधार कार्ड में भी उसके सही नाम माही तिवारी से लिखा व पढ़ा जावे.

(G-1438)

प्रार्थी
(दीपक तिवारी-पिता)
चोरल, महू, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र आदर्श मीना पुत्र श्री संदीप मीना एवं श्रीमती अनुशुईया मीना का पूर्व में जन्म प्रमाण-पत्र में नाम आदर्श कुमार मीना व आधार कार्ड में आदेश मीना नाम था, अब मेरे पुत्र का नाम आदर्श मीना हो गया है, जो आवश्यक दस्तावेजों में भी परिवर्तित हो गया है, मेरा पुत्र अब आदर्श मीना के नाम से जाना-पहचाना जावेगा.

(G-1439)

प्रार्थी
(संदीप मीना-पिता)
चार खेड़ी, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I Hereby declare that, my correct name is Dilip Kumar Bherwani, But in my Son Sum Bherwani and Swayam Bherwani's school's documents and some of other documents my name is written Dilip Bherwani in which my middle name is missing. Henceforth in all of my Son's documents my name will be written Dilip Kumar Bherwani for all purposes.

Old Name
(Dilip Bherwani)

(G-1440)

New Name
(Dilip Kumar Bherwani)
MIG 2/6, Nehru Ward No.29
Housing Board Colony, Katni (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम ललित कुमार राज एवं मेरी पत्नी का नाम नफीसा बेगम है, जो कि हमारे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम नम्रता ग्रावकर लिखा गया है, अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम नफीसा बेगम ही लिखा व पढ़ा जाए.

(G-1441)

प्रार्थी
(ललित कुमार राज)
म.नं. 2398/3, बेदी नगर, नागपुर रोड,
जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, श्री गुनसागर ए जैन पिता स्व. लक्ष्मीचन्द जैन (GUNSAGAR A JAIN S/o Late. Shri Laxmichand Jain) पूर्व में मेरा नाम राकेश जैन पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जैन (RAKESH JAIN S/o Late. Shri Laxmichand Jain) था जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट इत्यादि में लिखा है वर्तमान में मुझे गुनसागर ए जैन पिता स्व. लक्ष्मीचन्द जैन के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी मैं गुनसागर ए जैन पिता स्व. लक्ष्मीचन्द जैन के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे सभी प्रपत्रों में मेरा नाम गुनसागर ए जैन पिता स्व. लक्ष्मीचन्द जैन लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम (राकेश जैन पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जैन) (RAKESH JAIN S/o Late. Shri Laxmichand Jain) (G-1442)	नया नाम (गुनसागर ए जैन पिता स्व. लक्ष्मीचन्द जैन) (GUNSAGAR A JAIN S/o Late. Shri Laxmichand Jain) के.ए. 59, स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर, पावर हाउस के पास, इंदौर.
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, नरेन्द्र कुमार गैरानी मेरा घर का नाम राज कुमार गैरानी था. जो मेरे पुत्र मयंक गैरानी के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र एवं बैंक खाता इत्यादि में लिखा है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे नरेन्द्र कुमार गैरानी के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जायेगा. जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में लिखा गया है. अतः मेरे पुत्र मयंक गैरानी के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता इत्यादि में पिता के नाम में मेरा नाम राजकुमार गैरानी के स्थान पर नरेन्द्र कुमार गैरानी लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम (राजकुमार गैरानी) (G-1443)	नया नाम (नरेन्द्र कुमार गैरानी) 44-45, बसंत पुरी कॉलोनी, अमितेश नगर के पास, इंदौर (म.प्र.).
--	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/S SARVODAY INFRATECH के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0374/21 एवं पंजीयन दिनांक 23-03-2021 है इस फर्म में 28 जून 2021 को भागीदार श्री गोपाल दास खण्डेलवाल, सेवानिवृत्त हो रहे हैं. एवं नये भागीदार के रूप में मनीष खण्डेलवाल सम्मिलित हो रहे हैं. एवं दिनांक 10 जून 2022 को फर्म में नये भागीदार के रूप में 1. सोहन लाल खण्डेलवाल 2. शानू खण्डेलवाल 3. राधा खण्डेलवाल 4. योगेश खण्डेलवाल, सम्मिलित हो रहे हैं तथा इसी दिनांक 10 जून 2022 को भागीदार श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता साझेदारी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा दिनांक 10 जून 2022 को फर्म के कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन किया गया है जो पूर्व से शांति भवन, हनुमान चौराहा, जीवाजी गंज रोड, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) था उसकी जगह नया पता ग्राम रमउआ सिटी सेंटर एक्सटैन्शन, ग्वालियर (म.प्र.) 474006 कर दिया गया है.

(G-1444)	M/S SARVODAY INFRATECH (मनीष खण्डेलवाल) पार्टनर.
----------	--

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/s SHRI BALAJI STONE CRUSHER, 01, RJ Puram Ward No. 18, Airport Road Gwalior (M.P.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0079/22, पंजीयन दिनांक 21-07-2022 में साझेदार श्री शिव कुमार राठौर दिनांक 03-03-2023 से फर्म में से सेवानिवृत्त हो रहे हैं एवं उसी दिनांक को भागीदार श्री सरोज कुमार बैहरा फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं।

M/s SHRI BALAJI STONE CRUSHER
(विमल शर्मा)
पार्टनर.

(G-1445)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स— सागर एसोसियेट, के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00158/11 एवं पंजीयन दिनांक 09-09-2011 है इस फर्म में 01 मई 2013 को भागीदार 1. पंकज कुमार गुप्ता 2. दयानंद नरवरिया 3. गोविन्द प्रसाद गुप्ता सम्मिलित हो रहे हैं. एवं उसी दिनांक को भागीदार 1. संजीव करईया 2. मनीष खण्डेलवाल 3. हरेन्द्र कुमार शर्मा, फर्म से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. तथा दिनांक 28 जून 2021 को भागीदार पंकज कुमार गुप्ता फर्म से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मैसर्स सागर एसोसियेट्स
(योगेश खण्डेलवाल)
पार्टनर.

(G-1446)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम रिया खानचंदानी है और मैं इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेजों में भी मेरा नाम रिया खानचंदानी ही अंकित है. मैं, अपना नाम रिया खानचंदानी से बदलकर सोनू बजाज में परिवर्तित करना चाहती हूँ एवं भविष्य में भी मैं सोनू बजाज के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी एवं मेरे भविष्य में बनने वाली सभी आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम सोनू बजाज ही अंकित किया जावेगा.

पुराना नाम
(रिया खानचंदानी)

नया नाम
(सोनू बजाज)

(G-1447)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र यशवंत सिंह ठाकुर आत्मज श्री नारायण सिंह ठाकुर का नाम उसके आधार कार्ड पर त्रुटिवश अखित राजपूत आत्मज श्री नारायण राजपूत लिखा गया है जो गलत है. अतः मेरे पुत्र को उसके सही नाम यशवंत सिंह ठाकुर आत्मज श्री नारायण सिंह ठाकुर के नाम से ही जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

आवेदक
(नारायण सिंह)

निवासी-म.नं. 7, रतन कॉलोनी,
शारदा विद्या मंदिर स्कूल के पीछे, करोंद, भोपाल.

(G-1448)

नाम परिवर्तन

मैं, सारिका नेमा पत्नी श्री सत्येंद्र नेमा, निवासी—मकान नंबर 244, रोहित नगर, फेज 2, बावड़िया कला, भोपाल का पुराना नाम आधार कार्ड में सुनीता नेमा था. मेरे अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम सारिका नेमा है. अब मुझे आज दिनांक से नए नाम सारीका नेमा से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम
(सुनीता नेमा)
(G-1449)

नया नाम
(सारिका नेमा)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मधुसुदन गोराना (Madhusudan gorana) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे अखिल गोराना, (Akhil Gorana) निवासी— डी-22, शांति निकेतन बरदरी, जोशी गुराडिया, जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

(G-1450)

प्रार्थी
(अखिल गोराना)
(Akhil Gorana)

नाम परिवर्तन

जनसाधारण को मैं, यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का सही एवं पूरा नाम सोहमसियो शाजी SOHAMSIYAN SHAJI आत्मज श्री शाजी एम SHAJI M है जबकि मेरे पुत्र की समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में सोहमसियो एस SOHAMSIYAN S आत्मज श्री शाजी एम SHAJI M अंकित है. मुझे मेरे पुत्र के समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्य एवं दस्तावेजों में सही एवं पूरा नाम सोहमसियो शाजी SOHAMSIYAN SHAJI आत्मज श्री शाजी एम SHAJI M करवाना चाहता हूँ एवं इसी नाम से जाना व पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम
(सोहमसियो एस)
SOHAMSIYAN S
आत्मज श्री पॉल Paul
(G-1451)

नया नाम
(सोहमसियो शाजी)
SOHAMSIYAN SHAJI
आत्मज श्री शाजी एम SHAJI M

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम शील कुमार खराडिया पिता मदन लाल खराडिया (Sheel Kumar Kharadiya S/o Madan Lal kharadiya) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे शील कुमार प्रजापत (Sheel Kumar Prajapat S/o Madan Lal Prajapat) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

(G-1452)

प्रार्थी
(शील कुमार प्रजापत)
(Sheel Kumar Prajapat)
निवासी—73, ग्राम भोखा खेड़ी, सेमल्या चारु,
इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तुलसीराम जलोदिया पिता श्री जगन्नाथ जलोदिया (रिटायर्ड सूबेदार) मेरे सेना सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश तुलसीराम दर्ज हो गया है जो सही नहीं हैं मेरे समस्त दस्तावेजों में नाम तुलसीराम जलोदिया है जो सही सत्य है, मेरे आर्मी के समस्त दस्तावेजों में नाम तुलसीराम जलोदिया दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम
(तुलसीराम)

(G-1453)

नया नाम
(तुलसीराम जलोदिया)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुगन बाई (SUGAN BAI) पत्नी श्री सैतान सिंह पंवार, निवासी-ग्राम नंदगांव, तहसील-भैरुदा (नसरुल्लागंज), जिला सीहोर, म.प्र. में निवासरत् हूँ मैं पूर्व में अपना नाम भूरीबाई पंवार (BHURI BAI PANWAR) लिखती थी तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में भी मेरा यही नाम अंकित है, मेरी, साई प्रसाद, शाखा हरदा में एक पॉलिसी है जिस पर मेरा नाम सुगन बाई अंकित है. श्रीमती सुगन बाई (SUGAN BAI) पत्नी श्री सैतान सिंह पंवार एवं भूरीबाई पंवार (BHURI BAI PANWAR) दोनों एक ही महिला के नाम हैं जो मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे श्रीमती सुगन बाई (SUGAN BAI) पत्नी श्री सैतान सिंह पंवार के नाम से जाना-पहचाना जाये एवं सभी शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(भूरीबाई पंवार)

(G-1454)

नया नाम
सुगन बाई (SUGAN BAI)
पत्नी श्री सैतान सिंह पंवार

PUBLIC NOTICE

With reference to above we hereby inform that following are changes in the firm M/s. SBL Realty as under :-

1. There was the change in Partnership Firm on September 16, 2021. Mr. Shadab Hussain Gori S/o Mr. Maqsood Hussain Gori had been admitted as new partner in the firm on September 16, 2021.
2. There was the change in the Partnership Firm on April 01, 2022. Four partners, Mr. Sudhir Saxena S/o Mr. SBL Saxena, Mrs. Maddhu Sakksena W/o Mr. Sudhir Saxena, Mr. Suumit Sakksena S/o Mr. Sudhir Saxena, Ms. Sruti Saxena D/o Mr. Sudhir Saxena were retired and M/s. Prospective Builders Private Limited had been admitted as new partner in the firm on April 01, 2022.
3. There was the change in the partnership firm on April 13, 2022. M/s. Prospective Builders Private Limited and Mr. Shadab Hussain Gori, the partners had introduced land worth Rs. 5,35,76,000/- (Rupees Five Crore Thirty Five Lakh and Seventy Six Thousand only) in the Firm on the April 13, 2022 as the Capital of the Firm.

For M/S SBL REALTY
(SHADAB HUSSAIN GORI)

Partner

(G-1455)

Add-91, Nandanvan Colony, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शंकर गावंडे पुत्र गोविंदराव गावंडे, निवासी-सी.टी.ओ. बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र के स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम देवांशु (Devanshu) दर्ज है, आधार कार्ड नं. पर उसका नाम देवांशु गावंडे (Devanshu Gavande) दर्ज है, जो कि सही है. अतः मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख व अन्य दस्तवेजों में देवांशु गावंडे (Devanshu Gavande) के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
देवांशु (Devanshu)
(G-1456)

नया नाम
देवांशु गावंडे (Devanshu Gavande)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम तनुजा हेमराजानी (Tanuja Hemrajani) था जो अब बदलकर (Bhavika Assudani) भाविका आसुदानी हो गया है. अतः, अब मुझे मेरे नये नाम भाविका आसुदानी (Bhavika Assudani) के नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम
तनुजा हेमराजानी (Tanuja Hemrajani)
पिता श्री केशवलाल हेमराजानी
(G-1457)

नया नाम
भाविका आसुदानी (Bhavika Assudani)
पति का नाम श्री मुकेश आसुदानी
पता-ए-75, एयरपोर्ट रोड, विजयनगर, लालघाटी,
नयापुरा, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अखिलेश्वर चौहान पिता स्व. राजेन्द्र चौहान, पता-बजरंग कालोनी RBI-393/2, कांचघर रोड, जबलपुर (म.प्र.) मैं, वर्तमान में गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर W.C.R. जबलपुर में कार्यरत हूँ, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा अधूरा नाम अखिलेश्वर (AKHILESHWAR) दर्ज है. अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा पूरा नाम अखिलेश्वर चौहान (AKHILESHWAR CHAUHAN) दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
अखिलेश्वर (AKHILESHWAR)
(G-1458)

नया नाम
अखिलेश्वर चौहान (AKHILESHWAR CHAUHAN)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s R P ANAND पता D-154, ADARSH NAGAR, GVARIGHAT ROAD, JABALPUR, MP, 482008, पंजीयन क्र. 04-14-01-00028-10, दिनांक 26-04-2010 है. भागीदारी फर्म की डीड दिनांक 1-04-2021 में फर्म का पता- डी-154, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, म.प्र. अंकित है. त्रुटिवश पंजीयन आवेदन में फर्म का पता- एम-1, पंचशील नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर हो गया है को डीड के अनुसार पता- डी-154, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर किया जाना है. दिनांक 28-06-2021 को श्री आर.पी. आनन्द फर्म से पृथक् हो गये हैं और दो नये भागीदार फर्म में सम्मिलित हुए हैं :- 1. श्रीमती प्रिया आनन्द पत्नी श्री गगन आनन्द, पता-म. नं. 154, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.) 2. श्री कुनाल आनन्द पिता श्री गगन आनन्द, पता-म. नं. 154, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.).

(G-1459)

M/s R P ANAND
(Priya Anand)
(Kunal Anand)
(Gagan Anand)
Partner.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-2940-री-1-2023

सरदारपुर, दिनांक 18 जुलाई 2023

प्र. क्र. 0001-बी-113(1)-2022

एतद्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण मणीलाल पिता मथुरालाल, जाति महाजन, अन्य-01, निवासीगण-जवाहर मार्ग, राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार द्वारा "श्री सोधर्म ब्रह्मतपोगच्छीय त्रिस्तुतीक जैन, श्री संघ ट्रस्ट, राजगढ़, राजेन्द्र भवन, राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार" के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) नियम 3 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है. विज्ञप्ति की प्रति पत्र के संलग्न है.

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा 1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेख प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के 30 दिवस के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 18 जुलाई 2023 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

क्र.-2838-री-1-2023

सरदारपुर, दिनांक 10 जुलाई 2023

प्र. क्र. 0001-बी-114(4)-2023-24

एतद्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण नन्दराम पिता भुराजी चौधारी, जाति सिर्वी, अन्य-01, निवासीगण-ग्राम घुलेट, तहसील सरदारपुर, जिला धार द्वारा "श्री कालिका माता मंदिर सर्व समाज ट्रस्ट, ग्राम घुलेट, तहसील सरदारपुर, जिला धार" के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) नियम 3 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है. उक्त के सम्बन्ध में मामला अधोहस्ताक्षकर्ता के न्यायालय में निधिवत पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई की जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 अधिनियम में उल्लेख प्रावधान अनुसार उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के 30 दिवस के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 05 जुलाई 2023 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

(G-1460)

राहुल चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश

क्र.-04-री-3-अ.वि.अ.-2023

सागर, दिनांक 13 जुलाई 2023

प्रारूप चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1952 का नियम 5 (1) देखिये]

चूंकि, श्री माँ हरसिद्धी देवी बाघराज मंदिर समिति, बाघराज वार्ड, सागर, तह. व जिला सागर की ओर से श्री रमेश कुमार चंदेल पिता राधाबल्लभ चंदेल, निवासी-पंडापुरा, बाघराज वार्ड, सागर, तहसील व जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 (3) के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तहर विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04-09-2023 को विचार के लिए लिया गया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, विजय कुमार डेहरिया, अधिकारी, सागर, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 04-09-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अविभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम – श्री माँ हरिसिद्धी देवी बाघराज मंदिर समिति ट्रस्ट, बाघराज वार्ड, सागर, तहसील व जिला सागर.

रा.प्र.क्र. 04-बी-113 वर्ष 2023-24

मौजा-सागर, साख तहसील सागर.

श्री माँ हरिसिद्धी देवी बाघराज मंदिर की सम्पूर्ण चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा

सामग्री का नाम (1)	सामग्री का अनुमानित वजन (2)	अनुमानित कीमत (3)
सोने के जेवर	(आर्टिफिशियल)	
03 मंगल सूत्र	12 आना	48000/-
03 नथ	04 आना	12800/-
	चांदी के जेवर (आर्टिफिशियल)	
03 हार	250 ग्राम	9500/-
01 छत्र	250 ग्राम	10500/-
01 छत्र	500 ग्राम	20000/-
01 छत्र	050 ग्राम	2000/-
01 छत्र	050 ग्राम	3000/-
03 मुकुट	500 ग्राम	20000/-
01 मुकुट	125 ग्राम	4700/-
01 मुकुट	050 ग्राम	2000/-
01 मुकुट	500 ग्राम	20000/-
01 चबर	250 ग्राम	10500/-
01 कीट	250 ग्राम	8500/-
	ताँबा का सामान	
01 मुखौटा	05 किलो	1500/-
	काँसा का सामान	
02 झालर	06 किलो	1800/-
	पीतल का सामान	
01 बड़ा घंटा	101 किलो	30300/-
02 घंटा	45 किलो	13500/-
01 घंटा	21 किलो	6300/-
02 घंटा	05 किलो	1500/-
01 घंटा	05 किलो	1500/-
01 घंटा	सवा किलो	450/-
02 गदा	11 किलो	3300/-

(1)	(2)	(3)
	अन्य सामग्री - नग	
लोहे कीपलंग पेटी	02 नग	2500/-
लोहे की अलमारी	03 नग	7500/-
	माँ के रजाई गद्दा	
एलमोनियम के		
गंज बड़े +	02 नग	1600/-
छोटे	02 नग	800/-
स्टील की थालियां	10 नग	1000/-
गैस सिलेंडर	01 नग	1500/-
गैस चूल्हा	02 नग	1000/-
स्टील-लोटा, गिलास, कटोरी	11नग	500/-
लोहे की कढ़ाई छोटी+बड़ी	02 नग	750/-
इलेक्ट्रिक आरती मशीन	01 नग	1700/-
हारमोनियम	01 नग	1500/-
ढोलक	01 नग	1000/-
झूला	02 नग	200/-
मंजीरा	01 जोड़ी	75/-
एम्पलीफायर सेट	02 नग	3000/-
माँ की पोशाखें	40 नग	40000/-
माँ की साड़ी	03 नग	750/-
पटा+पटली	04 नग	300/-
कपड़े के चंदेवा लोहे की	02 नग बड़ी	5000/-
तिजोरियां	04 नग छोटी	
सीलिंग फेंन	04 नग	5200/-
	02 नग	
रामायण जी	02 नग	100/-
शंख	01 नग	500/-
नारियल फोड़ने की मशीन	01 नग	3500/-
सीसीवीटी कैमरे+डी.बी.आर.	07 नग +01 नग	5000/-
बिजली मीटर	03 नग	
बड़ी गाये+ छोटी गाये	03 नग + 02 नग	20000/-
		5000/-
	अखाड़ा का सामान	
वेट लिफ्टिंग मशीन	01 नग	3500/-
वेट प्लेट (बड़ी) छोटी	02 नग	1350/-
	10 नग	
बड़ी वेट राड	02 नग	325/-
छोटी वेट राड	03 नग	
मुगदर (लकड़ी)	02 नग	200/-
तलवारें	02 नग	300/-
भाला	01 नग	100/-
ढाल	02 नग	150/-

(1)	(2)	(3)
लाठी	10 नग	170 /—
लेझम	12 नग	850 /—
पटा	01 नग	80 /—
ढेला	02 नग	90 /—

खुली जगह में वृक्षा रोपड़

60 यूके लिप्टिस, 02 अमरुद, 03 खिन्नी, 08 सिरस, 01 बरिया, 07 नीम, 01 पाम, 10 चिरोल, 02 गुलमोहर, 05 पीपल, 30 शीशम, 06 बेल, 03 बेरी, 04 ऑवला, 03 बमूरा, 01 आम, 02 कदम, 03 अशोक, 02 शमी, 02 फलमण्डी, 04 सरस, 01 कट चंदन, लगभग सभी वृक्ष मौजूद.

ग्राम बगौधा तह. प.ह.नं. 05 बण्डा, जिला सागर में स्थित खसरा नं. 36 / 1 / 2 रकवा 0.40 हे. कृषि भूमि अनुमानित राशि	200000 /—
माँ हरसिद्धि देवी का (नया) राजमंदिर अनुमानित राशि 57 ग 58	7000000 /—
यक्ष शाला 26 ग 26 अनुमानित राशि	150000 /—
मानस भवन (नया) 15 ग 49	441000 /—
मंदिर की धर्मशाला 45 ग 90 अनुमानित राशि	1215000 /—
बाबा कुटी (भवन)	5000 /—
श्री राम कुटी (भवन) 14 ग 17	71400 /—
बाघद्वार चबूतरा 10 ग 10	30000 /—
मंदिर की प्राचीन गुफा	10000 /—
श्री शिव + पार्वती मंदिर 14 ग 14	98000 /—
श्रीहनुमान जी का मंदिर 42 ग 42	842000 /—
श्री राधा कृष्ण का मंदिर 4 ग 4	8000 /—
श्री शनिदेव जी मंदिर एवं परिसर 5 ग 5	52500 /—
श्री भेरव बाबा मंदिर 12 ग 12	72000 /—
श्री हरदौल की मंढिया	5000 /—
अचल सम्पत्तियां	अनुमानित राशि
गौ-शाला भवन	35000 /—
जवारे भवन - अखण्ड ज्योति भवन	738000 /—
नया सामुदायिक भवन	2500000 /—
विशाल मेन गेठ (42 सीढ़ियां)	300000 /—
माँ हरसिद्धि के सामने कोटा स्टोन 80 ग 70	235000 /—
दो ट्यूबवेल मय समर्सिवल पंप सहित	115000 /—
प्लास्टिक की टंकी पानी 2 नग	15000 /—

12,29,8535 /—

यूको बैंक में समिति का खाता में राशि
चालू खाते में राशि 894032=55 पैसा
सेविंग खाते में राशि 26403=59 पैसे

(G-1461)

विजय कुमार डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-1397-री-1-2023

बदनावर, दिनांक 30 जून 2023

फार्म नंबर-03

[नियम-4 (2) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बदनावर]

चूंकि ट्रस्ट "श्री महाकाल मण्डल समिति न्यास ट्रस्ट, बदनावर" में इस नोटिस के शेड्यूल के दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बावत् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, याद रखे ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 27-07-2023 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों, और जिसका उक्त बावत् कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करे, और मेरे समक्ष दिनांक 27-07-2023 को प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

आज दिनांक 30 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	: श्री महाकाल मण्डल समिति न्यास बदनावर ट्रस्ट, बदनावर
लोक न्यास का पता	: बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार
चल सम्पत्ति	: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., धार, शाखा बदनावर के खाता नम्बर 655008024103 में राशि रुपये 5,99,027/- जमा है.
अचल सम्पत्ति	: महाकाल मण्डल समिति के नाम से 39 फिट लम्बाई व 57 फिट चौड़ाई में कुल 2223 वर्गफिट भूमि नगर बदनावर के भोज मार्ग (ईमलीबाडा) बदनावर में स्थित है. भगवान के चांदी के आभूषण जिनका वजन 2 किलो 230 ग्राम जिसकी कीमत 1,55,000/- है, तथा भगवान की प्रतिमा तथा भगवान का चांदी का मुकुट भगवान की सवारी निकालने हेतु 2 रथ हैं.

(G-1462)

मेघा पवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-क-लोन्या-2023

बुरहानपुर, दिनांक 07 जुलाई 2023

प्र.क्र. . . . -बी-113-2023-24

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि लोक न्यास के जिला बुरहानपुर के समक्ष श्री पांधार हनुमान मंदिर ट्रस्ट, हसनपुरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर के द्वारा अध्यक्ष कमलसिंह अलावे पिता हिम्मतसिंह अलावे, निवास ग्राम हसनपुर, पोस्ट असीरगढ, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 07-07-2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. श्री पांघार हनुमान मंदिर ट्रस्ट हसनपुरा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर.
2. अध्यक्ष: कमलसिंह अलावे पिता हिम्मतसिंह अलावे, निवास ग्राम हसनपुर (वनग्राम), पोस्ट असीरगढ़, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
3. चल संपत्ति— निरंक.
4. अचल संपत्ति— निरंक.

क्र. क—लोन्या—2023.

प्र.क्र.बी—113—2023—24

[नियम—5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि लोक न्यास के जिला बुरहानपुर के समक्ष श्री सिद्ध नवनाथ मंदिर ट्रस्ट, खकनारकला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर के द्वारा अध्यक्ष श्री मनोहर पिता धोण्डू महाजन, निवासी ग्राम खकनारकला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन—पत्र दिनांक 07—07—2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. श्री सिद्ध नवनाथ मंदिर ट्रस्ट, खकनारकला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर.
2. अध्यक्ष— श्री मनोहर पिता धोण्डू महाजन, निवासी ग्राम खकनारकला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर.
3. चल संपत्ति— निरंक.
4. अचल संपत्ति— ग्राम खकनारकला की भूमि ख.नं. 147/1 पैकी रकबा 624 वर्गफीट व ख.नं. 147/6 पैकी रकबा 100 वर्गफीट.

(G-1463)

अजमेर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा.), वनमण्डल, बालाघाट, मध्यप्रदेश

आ. क्र. मा.चि.-स्था.आ.-199

बालाघाट, दिनांक 14 जून 2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नानुसार आकृति का मार्किंग हेमर काष्ठ कूप IX अमेडा, SCI कक्ष क्रमांक 289 में मार्किंग कार्य के लिये कार्यालयीन चालान क्रमांक 05 दिनांक 08-01-2016 के द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र को प्रदाय किया गया था. वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी (सा.) ने अपने पत्र क्रमांक परि.-2017-725, दिनांक 08-03-2017 के द्वारा उक्त मार्किंग हेमर गुम होने की सूचना इस वनमंडल कार्यालय में प्रेषित की गई है तथा दिनांक 24-02-2018 को हेमर गुम होने के संबंध में रिपोर्ट निकटतम संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई. उक्त गुमशुदा मार्किंग हेमर के छानबीन के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वितीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त गुमशुदा मार्किंग हेमर को हेमर रजिस्टर से अपलेखित किया जाता है.

उक्त मार्किंग हेमर की कीमत राशि रूपये 270.00 (रूपये दो सौ सत्तर मात्र) श्री भूपेन्द्रसिंह सिरसाम, वनरक्षक, तत्कालीन बीट गार्ड, अधियाटोला [वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.)] वर्तमान पदस्थिति कटंगी (सा.) परिक्षेत्र से एकमुश्त उनके वेतन से वसूल करने के लिये आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिए चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

निम्न दर्शित मार्किंग हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हेमर को निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में तत्काल ही जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये प्रयोग करते हुये पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा. तथा वह दण्ड का भागीदार होगा. गुमशुदा मार्किंग हेमर की आकृति दर्शित हैं



(G-1464)

अभिनव पल्लव, वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-क्यू

उज्जैन, दिनांक 13 जून, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1386, दिनांक 09-05-2023, आदेश क्रमांक 1387, दिनांक 09-05-2023 एवं आदेश क्रमांक 1419 दिनांक 09-05-2023 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकला, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन.	2259/05-10-2015	1386/09-05-2023
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मड़ावदी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन.	2088/15-06-2015	1387/09-05-2023
3.	महाकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करनावद, तहसील नागदा, जिला उज्जैन.	1628/07-02-2004	1419/09-05-2023

अतः मैं, शान्तिलाल चौहान, सहकारी निरीक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावों/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त

अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-1465)

शान्तिलाल चौहान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-क्यू.

उज्जैन, दिनांक 13 जून 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परिसमापन-2023-1136, दिनांक 28-04-2023, एवं आदेश क्रमांक परिसमापन-2023-1610, दिनांक 31-05-2023 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डुंगरिया	1710 / 31-01-2008	2420 / 07-07-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालोदा	866 / 26-07-1989	2420 / 07-07-2017
3.	श्री करणी कृषि एवं उद्यानिकी बीज एवं जैविक खाद सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवासुरा, बड़नगर.	2331 / 05-12-2016	1333 / 20-05-2022
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोयल	799 / 30-06-1988	1136 / 28-04-2023

अतः मैं, एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-1466)

एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-क्यू

उज्जैन, दिनांक 9 जून 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदिया.	2160/20-08-2015	578/25-02-2016	13/03-12-2018
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गांधीनगर.	2158/20-08-2015	578/25-02-2016	2825/23-08-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ी.	2161/20-08-2015	3561/08-12-2016	2825/23-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बोदा.	438/11-05-1977	519/01-03-2013	2825/23-08-2017
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमराझर.	2159/20-08-2015		
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेरगढ़.	2095/18-06-2015	3561/08-12-2016	1314/18-06-2018
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरछी.	2395/05-01-2018	1045/26-04-2023	1045/26-04-2023
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लालाखेड़ी.	2358/28-03-2017	1035/26-04-2023	1835/26-04-2023
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लालाखेड़ा.	2345/15-03-2017	1036/26-04-2023	1036/26-04-2023
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदाधाकड़.	2443/07-01-2019	1062/26-04-2023	1062/26-04-2023
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ा.	479/25-08-1980	1061/26-04-2023	1061/26-04-2023
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरछा.	1760/20-12-2010	1109/28-04-2023	1109/28-04-2023
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दौलतपुर.	1778/23-07-2012	1108/28-04-2023	1108/28-04-2023
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूपाखेड़ी.	642/27-01-1984	1139/28-04-2023	1139/28-04-2023
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवली.	2411/14-03-2018	1060/26-04-2023	1060/26-04-2023
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चाकिया.	2410/14-03-2018	1059/26-04-2023	1059/26-04-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरियाजागीर.	2065 / 27-03-2015	1033 / 28-04-2023	1133 / 28-04-2023
18.	गोमती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, उन्हेल.	1660 / 23-02-2005	499 / 29-03-2019	499 / 29-03-2019
19.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंहगढ़.	1969 / 27-12-2014	742 / 08-03-2016	742 / 08-03-2016
20.	केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	42 / 18-09-1965	2540 / 08-07-2015	2903 / 23-12-2022
21.	तुलसी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1564 / 16-05-2001	2540 / 08-07-2015	2903 / 23-12-2022
22.	श्री बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	124 / 04-03-1987	1107 / 28-07-2009	2903 / 23-12-2022
23.	नालंदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	7 / 20-08-1981	3015 / 29-12-2010	2903 / 23-12-2022
24.	माँ श्री महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	877 / 20-06-1987	3015 / 29-12-2010	2903 / 23-12-2022

अतः, मैं, आर. एल. परमार, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 9 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(G-1466)

आर. एल. परमार, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-401.

श्योपुर, दिनांक 15 जून 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन-2016-640, दिनांक 03-06-2016 के द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.-एस.पी.आर.-120, दिनांक 07-08-2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर.के. पचौरिया, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता अंकेक्षण, जिला श्योपुर (म.प्र.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया

गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः, मैं, ध्रुव कुमार झारिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहु, सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.-एस.पी.आर.-120, दिनांक 07-08-2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 15 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्र. परि.-2023-402.

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन-2016-640, दिनांक 03-06-2016 के द्वारा महिला बहु, सहकारी संस्था मर्या., कीजरी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.-एस.पी.आर.-46, दिनांक 23-06-2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर.के. पचौरिया, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता अंकेक्षण, जिला श्योपुर (म.प्र.) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः, मैं, ध्रुव कुमार झारिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहु, सहकारी संस्था मर्या., कीजरी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.-एस.पी.आर.-46, दिनांक 23-06-2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं नियमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 15 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1467)

ध्रुव कुमार झारिया, सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-1915.

देवास, दिनांक 5 जून 2023

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

घटियांकला.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घटियांकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 07-05-1984 है, संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन दिनांक 23-05-2023 से अवगत कराया है कि संस्था दिनांक 25-12-2022 से अकार्यशील

है और न ही आगे संचालन होने की संभावना है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. उपरोक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में एक अवसर देते हुए, व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 23-06-2023 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-1916

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / प्रशासक,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

कराड़िया.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कराड़िया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 09-07-2002 है, संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा आवेदन दिनांक 24-05-2023 से अवगत कराया है कि संस्था वर्ष 2016 से अकार्यशील है और न ही आगे कार्यशील होने की संभावना है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. उपरोक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में एक अवसर देते हुए, व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 23-06-2023 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2096.

देवास, दिनांक 21 जून 2023

श्रीराम मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1416, दिनांक 12-05-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयवधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 21-04-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि संस्था विगत तीन-चार वर्षों से

अकार्यशील होकर बन्द है, संस्था के सदस्य भी संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1501, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीराम मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1416, दिनांक 12-05-2014 को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-2094.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष / प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

जनोईखेड़ी.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जनोईखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 894, दिनांक 24-10-1980 है, द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक द्वारा आवेदन दिनांक 05-06-2023 से अवगत कराया है कि संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं पायी गई संस्था के पर्यवेक्षक के पत्र अनुसार संस्था चार-पांच वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के पदाधिकारी भी संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे, परिसमापक ने बताया कि संस्था पर्यवेक्षक के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. उपरोक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 07-07-2023 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-2093.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

बैरागढ़.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 06-09-1980 है, संस्था सचिव द्वारा आवेदन दिनांक 04-06-2023 से अवगत कराया है कि संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के संचालन के आगे की कोई संभावना नहीं है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. उपरोक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में एक अवसर देते हुये व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 07-07-2023 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2095.

दयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, क्षिप्रा, पंजीयन क्रमांक जे.आर. 34, दिनांक 04-02-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 21-04-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि संस्था विगत चार-पांच वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है, संस्था के सदस्य भी संस्था के संचालन में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1498, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. विधिवत् सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, क्षिप्रा पंजीयन क्रमांक जे.आर. 34, दिनांक 04-02-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2097.

माँ आशापुरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1619, दिनांक 26-10-2016 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 27-04-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अध्यक्ष से सम्पर्क करने पर संस्था प्रबन्धक द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया है कि संस्था वर्ष 2019 से लगातार अकार्यशील है एवं संस्था के आगे संचालन की कोई संभावना नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1500, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ आशापुरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास पंजीयन क्रमांक 1619, दिनांक 26-10-2016 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2098.

प्रियदर्शिनी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 09-06-1993 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 16-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं खाद्य आपूर्ति, जिला देवास द्वारा अवगत कराया है कि संस्था की शासकीय उचित मूल्य का आवंटन भी रद्द किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1760, दिनांक 18-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रियदर्शिनी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 09-06-1993 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2099.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, एलचपुर, पंजीयन क्रमांक 1642, दिनांक 27-09-2018 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 24-04-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था के प्रबन्धक श्री अंकित गुर्जर द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अकार्यशील है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1496, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, एलचपुर, पंजीयन क्रमांक 1642, दिनांक 27-09-2018 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री समीर हरदास को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2100.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खोखरिया, पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 02-03-2006 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 02-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था विगत दो-तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1497, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खोखरिया, पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 02-03-2006 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2101.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैबतपुरा, पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 03-08-2004 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 06-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने से संस्था के समस्त सदस्य संचालक पद की पात्रता नहीं रखते हैं एवं संस्था के आगे संचालन की कोई भी संभावना नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1736, दिनांक 18-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैबतपुरा, पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 03-08-2004 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2102.

माँ गंगा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1087, दिनांक 07-10-2004 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 17-04-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है एवं संस्था अध्यक्ष से मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने पर भी संस्था के निर्वाचन प्रस्ताव तैयार करने हेतु सदस्यता सूची एवं रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1499, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ गंगा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1087, दिनांक 07-10-2004 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2103.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोरबा, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22-06-2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 15-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था के प्रबन्धक एवं संस्था पर्यवेक्षक श्री चौधरी द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु सदस्य सूची प्रस्तुत नहीं की गयी है, उनके द्वारा यह बताया गया कि संस्था में केवल एक ही व्यक्ति का दुग्ध आने से संस्था नाम मात्र का कार्य कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1758, दिनांक 18-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोरबा, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22-06-2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2107.

बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबाराजागीर, पंजीयन क्रमांक 1585, दिनांक 22-07-2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 02-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अध्यक्ष से सम्पर्क किया गया, किन्तु उनके द्वारा स्था की कार्यशील के अभाव में पंजीयन दिनांक से कोई भी व्यवसाय नहीं होना बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1495, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबाराजागीर, पंजीयन क्रमांक 1585, दिनांक 22-07-2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री डी. के. शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2108.

फ्रेण्ड्स बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 06-06-1966 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 15-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अध्यक्ष/कर्मचारी से मोबाईल से सम्पर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि संस्था के सदस्य संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं एवं संस्था के आगे संचालन की कोई भी संभावना नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1761, दिनांक 18-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रेण्ड्स बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 06-06-1966 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री जोवाकिम कुजुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2109.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुड़िया, पंजीयन क्रमांक 1411, दिनांक 11-03-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 15-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था के प्रबन्धक श्री अंकित गुर्जर द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अकार्यशील है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1759, दिनांक 18-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुड़िया, पंजीयन क्रमांक 1411, दिनांक 11-03-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2110

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तुरनाल, पंजीयन क्रमांक 1461, दिनांक 21-07-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 08-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था सचिव एवं संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि संस्था विगत तीन वर्ष से अधिक से अकार्यशील होकर बन्द है. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1493, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तुरनाल, पंजीयन क्रमांक 1461, दिनांक 21-07-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री मयंक रावत, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

क्र. परि.-2023-2111

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदमाफी, पंजीयन क्रमांक 1425, दिनांक 23-05-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 08-05-2023 से सूचित किया गया है कि संस्था सचिव एवं संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि संस्था विगत तीन वर्ष से अधिक से अकार्यशील होकर बन्द है. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1434, दिनांक 11-05-2023 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदमाफी, पंजीयन क्रमांक 1425, दिनांक 23-05-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री मयंक रावत, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1468)

परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार.

**कार्यालय, परिसमापक, प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित,
बरखेड़ा हसन, मध्यप्रदेश**

क्र. परि.-2023-क्यू.

सीहोर, दिनांक 19 जून 2023

[नियम 57 (ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना]

यह कि प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 20-09-2007 को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परिसमापन-2023-906, सीहोर, दिनांक 15-06-2023 से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 20-09-2007 से सम्बद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि ये 57 (सी) की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवधि में तथा साक्षों से समर्पित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा-पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1469)

आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023.

सीहोर, दिनांक 15 जून, 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 20-09-2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक परिसमापन-2023-773, सीहोर, दिनांक 24-05-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में पत्र दिनांक 31-05-2023 से प्रति उत्तर, प्रस्तुत किया गया है और निवेदन किया गया है कि संस्था के सदस्य निर्वाचन नहीं कराना चाहते हैं और न ही बीज कार्यक्रम ले रहे हैं। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1470)

पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
प्र.क्र. 0004-बी-113-2023-24 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदकगण 1. श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव, (म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग) 2. श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, संचालक, (संस्कृति संचालनालय), शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), 462016 द्वारा "संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास" न्यास कार्यालय "संस्कृति संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश" का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास"
पता-संस्कृति संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 25 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-1471)

क्षितिज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023—श्रावण 6, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)